

## भाग-2

**परियोजना या स्कीम की अवस्थिति:-** मा० मुख्यमंत्री घोषणा स० 415/2018 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बगाली (बांजबगड़) से विकासखण्ड थराली के रुईसांग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 7.950 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(i)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii)	जिला	चमोली
(iii)	जिला वन प्रभाग	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपश्वर।
(iv)	पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जानी वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	7.950 है० वन भूमि (4.8825 है० आरक्षित वन भूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु एवं 1.65 है० मक डम्पिंग हेतु) 1.4175 है० सिविल भूमि मोटर मार्ग मार्ग हेतु) आरक्षित वन भूमि, सिविल सौयम भूमि, संलग्न।
2-	पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई नई वन भूमि की विधिक प्रस्थिति	
3-	अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वनभूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा-	
(i)	वन का प्रकार	आरक्षित वन भूमि, सिविल सौयम भूमि,
(ii)	वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	0.3
(iii)	प्रजातिवार स्थलवार या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना।	संलग्न।
(iv)	पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जानी वाली वन भूमि की कार्यकरण योजना का तुस्खा	संलग्न।
4-	भूक्षण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जानी वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीर्णता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट संलग्न।
5-	वनभूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जानी प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी	0.100 किमी०
6-	वन्यजीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जानी वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्त्वा	नहीं।
(i)	पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जानी वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा	नहीं।
(ii)	क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैवक्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के व्यौरे और उपावद्व किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणी उपावद्व की जाए)	नहीं।
(iii)	क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैवक्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जानी वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी० के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्यजीव वार्डन की टीका-टिप्पणी उपावद्व की जाए)	नहीं। मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आयुनिकीकरण, देहरादून की पत्र सं० 992/32-1-2(जी०एस०आई०) दिनांक 04.12.2020 से नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क की निकटतम हवाई दूरी 29.60 किमी० जी०आई०एस० तकनीकी से सन्निकट आंकलित की गयी है।
(iv)	क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जानी वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी० के भीतर अवस्थित है, (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्यजीव वार्डन की टीका-टिप्पणी उपावद्व की जाए)	नहीं।
(v)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जन्तु के अलग या खतरे में अलग किसम के खतरे की प्रजातियां हैं, तो उसके व्यौरे	नहीं।

7— क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपावद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण—पत्र के साथ उसका व्यौरा दें।)	नहीं।
8— पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें।	निम्नानुसार।
(i) क्या भाग—1 के पैरा 6 और 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	न्यूनतम है।
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	याचिका भूमि न्यूनतम है।
9— किए गए अतिक्रमण के व्यौरे:-	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धातों के अतिक्रमण में किसी कार्य की किया गया है (हां/नहीं)	नहीं।
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तददायी व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही।	नहीं।
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति है (हां/नहीं)	नहीं।
10— क्षतिपूरक वनरोपण स्क्रीम के व्यौरे:-	
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः।	ग्राम स्थारी बंगाली, सिविल भूमि वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी है।
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पाटमेंट या खसरा सं0 क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे व्यौरे दें।	प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल प्रमाण पत्र एवं डिजिटल मैप के अनुसार।
(iii) क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के लिए पचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और समीक्षा वन सीमाएं संलग्न हैं।	प्रस्ताव में संलग्न।
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्क्रीम के व्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)	प्रस्ताव में संलग्न।
(v) क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्क्रीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्ययः—	प्रस्ताव में संलग्न।
(vi) क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रबन्धन के दृष्टिकोण से पहचान किए गए क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में संवद्ध उप वन संरक्षण से प्रमाण—पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)	प्रस्ताव में उपयुक्तता प्रमाण—पत्र संलग्न है।
11— वनस्पति और जीवजन्तु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। (हां/नहीं)	नहीं।
12— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें।	जनहित में संस्तुति दी जाती है।

स्थानः— गोपेश्वर।  
दिनांक— ०८/०१/२०२१।

  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।